दैनिक नवज्योति

जैतारण · रायपुर · व्यावर · मसूदा · डिडवाना · बदनौर

• व्यावर • टॉडगढ़ • जैतारण • रायपुर • मसूदा • बिजयनगर • बदनौर

श्याम बाबा को निकाली भव्य निशान यात्रा

श्याम बालाजी मंदिर में मनाया श्याम बाबा का उत्सव

निशान यात्रा निकालते श्याम भक्त। -कमल जलवानिया

व्यावर। शहर के उदयपुर रोड कृषि मंडी चौराहा स्थित श्याम बालाजी मंदिर पर गुरुवार को श्याम बाबा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्याम भक्तों की ओर से श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। श्याम बालाजी मंदिर से निकली भव्य निशान यात्रा में बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्याम भक्तों ने हाथों में श्याम बाबा का निशान लेकर शिरकत की।

इस दौरान भक्तों ने श्याम भक्त डीजे पर बजती फागुणी गीतों की धुन पर नाचते-गाते हुए श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मंदिर परिसर से शुरू हुई निशान यात्रा सेटपाल स्कूल, कृषि मंडी, महाराणा प्रताप सर्किल, बाबा गमनीराव मंदिर से ब्रदानंद मार्ग से होते हुए आगासुरा माता मंदिर होते हुए पुनः श्याम बालाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। निशान यात्रा का मार्ग में जगह-जगह श्याम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। निशान यात्रा के दौरान श्याम बाबा की भव्य आलीकि पालकी सजाई गई जुलूसों अर्वेदिए पारीक, कार्यक्रम संयोजक नारायण लाल, गम्पाल, गजानन, जीवन, रामदेव प्रसाद, अशोक राकल, अनिल जैन, छोटू लाल सोनी, दिनेश पारीक, राहुल पारीक, साहिल सोलंकी तथा अनिल रावत सहित बड़ी संख्या में श्यामप्रेमी शामिलहोरहे।

झंडारोहण तथा अखंड मंगल पाठ के साथ तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव शुरू

व्यावर। शहर के फतेहपुरिया चौराड़ स्थित खाटू श्याम मंदिर का तीन दिवसीय 17वां फागोत्सव गुरुवार से शुरू हुआ। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मंदिर प्रमुख सुनिल खंडेलवाल व उत्सव संयोजक चौड़ा पर ध्वजा संध्या का झंडारोहण कर किया।

व्यावर। पीएम मोदी की सभा का प्रचार प्रसार करते भाजपा पदाधिकारी। -कमल जलवानिया

मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए किया प्रचार

व्यावर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को अजमेर में होने वाली सभा में भीड़ जुटाने के लिए भाजपाईयों की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। गुरुवार सुबह पूर्व सभापति नरेश कर्नानीया अपने समर्थकों के साथ अजमेरी गेट से बाजार में निकले एवं व्यापारियों, दुकानदारों, आमजन को मोदी की सभा के बारे में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में सभा में शिरकत का आह्वान किया। कर्नानीया कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में बाजार में निकले और आमजन को पीले चावल देकर सभा में शरीक होने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान नरेन्द्र मोदी के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए। इस दौरान पूर्व सभापति इंदिरा देवी सोनी, संजय पीथा, राधेश्याम प्रजापति, ललिता जालान, मुकेश गर्ग, हरीश अरोड़ा अनेक भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे।

खुशी को सीएस एजीक्युटिव इंटर परीक्षा में 14वीं रैंक

व्यावर। खुशी माहीश्वरी पुत्री किशन माहीश्वरी निवासी लोधवास नगर, व्यावर ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सीएस एजीक्युटिव परीक्षा (जून 2025 एवं) में अखिल भारतीय स्तर पर 14वीं रैंक प्राप्त कर शहर एवं समाज का नाम गौरवांवित किया है। घोषित परिणाम के अनुसार खुशी माहीश्वरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

मसूदा में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग

बार एसोसिएशन मसूदा ने कलक्टर को दिया ज्ञापन

व्यावर-मसूदा। मसूदा बार एसोसिएशन ने गुरुवार को जिला कलक्टर कमलराम मीणा को एक ज्ञापन देकर मसूदा में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि मसूदा विधायक श्रीगोपीचंद कानावत ने विधानसभा में एक सवाल उठाते हुए बिजयनगर में एडीजे न्यायालय खोलने की अनुशंसा की है। जबकि मसूदा विधायक को पूर्व में यह प्रस्ताविकता मसूदा की और अवगत करावाकर मसूदा में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खुलवाये जाने अथवा पूर्व में कार्यरत जिला मुख्तालय व्यावर में ही यथावत रखे जाने की मांग की गई थी। चूंकि बिजयनगर में एडीजे न्यायालय खुलने से मसूदा के अधिवक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बिजयनगर के बजाए मसूदा में ही एडीजे न्यायालय खोलने अथवा पूर्व की भांति व्यावर में ही यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मसूदा बार से अधिवक्ता अनिलकुमार मिश्रा, सुधीर व्यास, सलीम मोहम्मद, व्यावर बार से रामस्वरूप सेवलिया, हनुमानसिंह राठौड़, सुनील चौहान, शैलेन्द्र गौड़र आदि शामिल थे। उधर जिला बार एसोसिएशन संस्था ने भी मसूदा विधायक की मांग का विरोध करते हुए सुधार की कार्य चौतरफर किया। कार्य चौतरफर के दौरान आवश्यक प्रवृति के मामलों को छोड़कर सभी न्यायिक कार्य बंद रखा। जिसके कारण पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला बार की ओर से जिला न्यायाधीश को लिखे पत्र में बताया गया कि व्यावरिक कानावत की ओर से उठाए गए इस सवाल से व्हॉमीन जिला न्यायालय के वातावरिकार को समाप्त करने की मांग साफ जाहिर होती है।

रसद विभाग ने जब्त किए 48 एलपीजी गैस सिलेण्डर

व्यावर। रसद विभाग द्वारा अभियान के तहत कार्यवाई करते हुए 48 गैस सिलेण्डर जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अनाधिकृत उपयोग, अतिरिक्त भण्डारण और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा राशनप्रेमियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है। नसिंह मंदिर गली में सघन रिडायणी क्षेत्र में स्थित एक पुराने मकान में अवैध रूप से भण्डारण की सूचना मौके पर गैस सिलेण्डर की बिक्री की जाती है।

व्यावर। कार्यशाली के दौरान जब्त किए गए गैस सिलेण्डर। -जवाब्यारि

कार्यवाही के दौरान मौके पर उनके पास गैस सिलेण्डरों के प्राप्त खरीद के बिल वाउचर नहीं पाए गए। गैस सिलेण्डर बिक्री की अनुमति नहीं होना पाया गया, तथा उपभोक्ता डायरी नहीं पाई गई एवं सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। सिलेण्डर भण्डारण स्थल पर सुरक्षा मानकों के कोई भी इंतजाम नहीं पाए गए। मौके पर कार्यवाही करते हुए 48 सिलेण्डर जब्त किए गए। जिसमें 6 सिलेण्डर वाणिज्यिक श्रेणी क्षमता 19 किलो, 35 वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 5 किलो, एवं 2 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एवं 5 बिना नॉब अतिरिक्त सिलेण्डर को जब्त किया गया। जब्त सभी सिलेंडर को ज्वाला गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया। कार्यवाही के दौरान डीएसओ साहिब सिंह चौहान प्रवर्तन अधिकारी एवं विकास मधुसिया प्रवर्तन निरीक्षक भी मौजूद रहे।

नशा मुक्त व्यावर अभियान को लेकर जिलास्तरीय समीक्षा बैठक

व्यावर। जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सजग व सक्रिय जिला प्रशासन की गुरुवार को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रहलाराम लाठ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र सागर, सीएमएचओ डॉ. संजय राठौड़ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस-1933 के अधिकतम प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देते हुए आमजन से अपील की गई कि नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना इस हेल्पलाइन पर साझा करें। मानस हेल्पलाइन 1933 के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा जिले में दो स्थानों पर प्रभावी कार्यवाही की गई है। बैठक में शिक्षण संस्थानों, लाइसेंसी एवं बस स्टैंड के आसपास स्थित पान-पान की दुकानों पर मादक पदार्थों के बेचान/सेवन एवं ई-सिगरेट पर औचक निरीक्षण, ड्रार्क नेट के माध्यम से ड्रग्स तस्करी पर रोक के लिए साइबर ट्रेंटीलेंस में वृद्धि तथा साइबर थाने द्वारा विशेष निगरानी तथा अभिशिक्षी कॉलेजों-विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व विद्यार्थियों की पुलिस मित्र बनाकर जन जागरूकता एवं सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।

व्यावर। कार्यक्रम में प्रस्तुति देते बच्चे तथा अवलोकन करते अतिथि। -जवाब्यारि

फाल्गुन के रंग में रंगा नृसिंह अग्रसेन जैन विद्यापीठ

व्यावर। शहर के मेंदा रोड स्थित नृसिंह अग्रसेन जैन विद्यापीठ में गुरुवार को फाल्गुन मेले का आयोजन धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। संपूर्ण विद्यालय परिसर फाल्गुन के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम का शुभारंभ वहांवान मातेश्वरी स्वामी के चित्र पर मालार्पण कर नवकार मांगमंत्र की प्रस्तुति दी गई। फाल्गुन की मस्ती को प्रदर्शित करती सांस्कृतिक झलक के साथ मनोरंजन एवं रचनात्मक गतिविधियों की शृंखर प्रस्तुतियों ने विनयाश्रिया, सुनीलकुमार दर्शकों, अभिभावकों एवं बच्चों को आनंदित किया। ब्रेक ए लाख, स्पेस द अर्देमा, बज द रिंग, वर्ल्ड कैन्डल, बॉल इन बास्केट, होल्ड ब्रिक, डिट द वुल आई जैसे खेलों में बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। नाज विद्यार्थित के विद्यार्थियों की ओर से फाल्गुन गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में खेल एवं नृत्य के साथ-साथ अभिभावकों के लिए विशेष प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिनमें मेहंदी, म्यूजिकल चेयर रेस, पैर चॉक लिद किड्स जैसी गतिविधियां शामिल आकर्षक रहीं। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अध्यक्ष खेतापलिया एवं मंत्री डा. पारख ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में अजय शर्मा, विजेंद्र प्रजापति, आशीषपाल पंडावत, प्रोफेसर अशोकपाल सहलपाल पेगाय गहलोत, एड.चौकेर नीलेश खुराड़, इंशिका जैन, ललिता चल्लुआ आदि अनेक गणमान्य लोग शरीक हुए। मेले में स्थानिष्ट व्यंजनों विद्यालय की प्रधानाचार्या डा. निवेदिता पाठक ने सभी अभिभावकों एवं अतिथियों स्थापत सत्कार किया।

व्यावर। कारागृह का निरीक्षण करते न्यायिक अधिकारी। -कमल जलवानिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया कारागृह का निरीक्षण

बंदियों को निशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी

व्यावर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व्यावर पंकज खंखला ने जिला कारागृह व्यावर का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव ने कारागृह की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के समय कारागृह में कुल 122 बंदी पाए गए। सचिव सांहुलाने ने बंदियों से मुलाकात कर उन्हें उनके विधिक अधिकारों की जानकारी भी दी तथा निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया। कारागृह के रसोई, डिस्पेंसरी, साफ-सफाई व्यवस्था, मनोरंजन कक्ष और मुलाकात कक्ष का भी अवलोकन किया गया। साथ ही शिक्षण लंगिग एवं किशोरिक के कानूनक जो सभीक्षा की गई। कारागृह में संचालित विभिन्न रजिस्टरों और बंदियों के रिकॉर्ड का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर जेलर खुशबीर, जेल स्टाफ जगदराजसिंह उपस्थित थे। सचिव सांहुलाने ने जेल प्रशासन को बंदियों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मानकों को उच्च बनाए रखने के निर्देश दिए।

Bank of Baroda शाखा- व्यावर, जिला- अजमेर (राजस्थान) फोन नं 01462-254500, मोबाईल 8094007030, ईमेल BOBWRITEOFF@BOBMAIL.COM

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये) [नियम 8(1)] जबकि अधोहस्ताक्षरी ने बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के नाते प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 सहपठित के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी विक्रय सूचना जारी की थी।

उक्त सूचनी का तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले, गिरवी रखने वाले और प्रतिभूति-दाता को यह सूचित किया जाता है कि उक्त अचल संपत्ति का कब्जा अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 27 फरवरी 2026 को ले लिया है। उधार लेने वाले, गिरवी रखने वाले और प्रतिभूति-दाता से विशेष रूप से और आम जनता से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

बंधक की गयी मिल्कियत/संपत्ति का विवरण निम्नलिखित अचल संपत्ति का वह सभी हिस्सा और हिस्से जो बंधक के अधीन हैं, जिसकी सीमाएं और चौहद्दी निम्नलिखित हैं: **मकान नं. 1, मकान नं. 2 एवं मकान नं. 3 का संयुक्त भाग, मकान नं. 4 का संयुक्त भाग, मकान नं. 5 का संयुक्त भाग, मकान नं. 6 का संयुक्त भाग, मकान नं. 7 का संयुक्त भाग, मकान नं. 8 का संयुक्त भाग, मकान नं.